न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश आचार्य,आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 04 / 2024 तारीख दायर :– 07.02.2024
तारीख फैसला :– 08.05.2026

1. श्री गोविन्द पिता स्व0वीरम मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पत्नी स्वा0 नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री शंकर पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्री केशा उर्फ केशुलाल पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्री लोगर पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
5. श्री बाबूलाल पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
6. श्रीमती नानी पुत्री स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
7. श्री गोविन्द उर्फ गोवर्धन पुत्र पुरा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।
8. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधिनियम

उपस्थिति – वादी की ओर से – श्री नरेश स्वर्णकार

प्रतिवादी की ओर से – पुष्करलाल मीणा

:– निर्णय–:

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सकालदा पटवार हल्का कूण भू.अ.निरीक्षक वृत्त कूण तहसील लसाडिया की जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता संख्या 59 नया व पुराना 61 में वर्णित वादग्रस्त आराजी 565 / 11 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति है, जो हमारे मूल पुरूष वीरम जी की आराजीयात है। मूल पुरूष वीरम जी की कृषि भूमि कब्जे काश्त की वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 01 से 07 तक खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 08 जो अपने पिता कें साथ उपयोग व उपभोग की आज तक चली आ रही है। विरम जी के तीन पुत्र थें, जिसमें सबसे बडा पुत्र नारायण फौत हो चुका है उसके विधिक वारिसान श्रीमती सोहनी पत्नी, पुत्र शंकर, केशा, लोगर, बाबूलाल,एव पुत्री नानी के नाम वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

कृषि भूमि खाते दर्ज है एवं दुसरा पुत्र पुरा भी फोत हो चुका है जिसका विधिक वारिसान गोविन्द उर्फ गोवर्धन के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि खाते दर्ज हुई एवं तिसरा पुत्र गोविन्द वादी के नाम खातेदारी में जमीन दर्ज नही होने के कारण यह घोषणा का राजस्व वाद पेश है। मौजा सकालदा पटवार हल्का कूण तहसील लसाडिया में वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा होना चाहिये था एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक का 1/18–1/18 हिस्सा होना चाहिये एवं प्रतिवादी संख्या 07 का भी 1/3 हिस्सा होना चाहिये था। वादी अपना 1/3 हिस्सा की घोषणा एवं नियमानुसार माप एवं सीमाओं के साथ पांती बंटवारा कराना चाहता है। मौजा सकालदा की उक्त कृषि भूमि जो मूल पुरूष वीरम के पिता तोला के काबिज काश्त की भूमि थी तथा वीरम की काफी ज्यादा उम्र होने से उनका स्वास्थ्य खराब रहकर चलने–फिरने में असमर्थ थे, तथा एलोटमेंट के समय विरम के कब्जे अनुसार वीरम के खाते एलोटमेन्ट कमेटी ने गैर खातेदारी अधिकार देने की बात बताई उस समय वीरम की तबीयत चलने–फिरने में नही थी तथा बीमार रहकर खाट पर ही सोते थें जो चलने–फिरने में असमर्थ थे। उस समय एलोटमेन्ट कमेटी ने नारायण व पुरा तथा विरम (जो चलने–फिरने में असमर्थ थे) को यह बात बताई की तुम्हारा तिसरा भाई गोविन्द जो पाली जिले में कपडे की मिल पर काम करता है उसे भी बुला लो ताकि तुम तीनों भाईयों के नाम तुम्हारें पिता वीरम के कब्जे काश्त की कृषि भूमि को तीनों भाईयों के नाम एलोटमेंन्ट कर देते है। लेकिन नारायण व पुरा होशियार थें दोनो ने अपने पिता को झुठ बोलकर कहा कि पिताजी आप चिन्ता मत करों हम दोनो भाई आपके नाम पर ही जमीन एलोट करा देते है जिसमें आपका अंगुठा ही काफी है फिर आपके मरने के बाद हम तीनों भाईयों के नाम जमीन खाते हो जायेगी अभी हम मिलकर जमीन के पैसे जमा करा देते है बाद मे हम खर्चा गोविन्द से ले लेगें। इस पर पिता ने कहा पैसे तों मैं तुम दोनो को दे देता हू मेरे पैसों से तुम जमा करा दों। इस तरह पैसा पिताजी से लेकर पिताजी से अंगुठा कागजों पर लगवा दिया और कहा हम जमीन आपके नाम से ही एलोट करा रहें है लेकिन दोनो पुत्र नारायण व पुरा के मन में बदनियती आने से अकेले दोनो ने अपने नाम पर एलोट करा दी और जब वादी अपने गांव आया तब उसे अपने पिता व दोनो भाईयों ने बताया कि उक्त जमिन पिताजी के नाम पर एलोट करा दी है और हमारें रूपये भी पिताजी ने दिये है। पिता की मृत्यु के बाद पता लगा तों इस बात पर वादी ने अपने दोनो भाईयों नारायण व पुरा को पुछा तो उन्होने बताया की हमारो मन में बदनियति आने से हमने पिताजी व तेरे साथ धोखा किया है। इस पर दोनो भाईयों ने गलती को माना इस पर मैने मेरे भाई, रिस्तेदारों को एकत्रित किया तब दिनांक 10.03.1999 बुधवार फागण की आठम को दोनो भाई नारायण व पुरा ने मेरे पक्ष में बही नामा में मेरे रिस्तेदार भेरूलाल, उॅकार, नवला के समक्ष लिखतम कर दी और दोनो भाईयों ने कहा मौके पर तु खेतनामी जुनकी भागल पर कमाई कमाई करता बराबर आ रहा है इसलिये हम तिनों भाई मौके एवं कब्जे अनुसार आपसी बटवारा कर लेते है। और याददास्त के नाते आपसी राजीनामा बही में लिख देते है। हम तिनो सगें भाई है तुम भी बराबर अपने खेतों में अपने हिस्से के अनुसार कमाते आ रहें है। तुम भी इस जुनकी भागल की तीसरी पांती के हकदार हों इस तरह आज तक वादी अपने 1/3 हिस्से पर शुरू से कमाई कर अपने परिवार का गुजारा करता चला आ रहा है। जो निरन्तर बेरोकटोक के वादी शान्तिपूर्वक वादग्रस्त स्थल पर काबिज चला आ रहा है। पेरा नमबर 02 में वर्णीत कृषि भूमि में दर्ज 1/3 हिस्से के अलावा अब वादी अपने के खाते दर्ज करवाने की घोषणा के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक के माप एवं सीमाओं द्वारा पांती बंटवाडा कर वादी के 1/3 हिस्से की घोषणा की जावे। पेरा नम्बर 02 में वर्णित कृषि भूमि मोझा सकालदा पटवार हल्का कूण तहसील लसाडिया में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी नम्बर 07 का 1/3 हिस्सा के अनुसार पांती बंटवारा जमाबन्दी में वर्णित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 तक ने अपने आपको कभी भी खातेदार नही माना तथा नही वादी को काश्त करने से कभी भी नही रोका एवं प्रतिवादी नमबर 08 जो उक्त कृषि भूमि में वादी के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

काश्त हिस्से में हस्तक्षेप करता है एवं झगडा फसाद करने पर आमादा है । वादी अपने हिस्से की विधि अनुसार घोषणा एवं पांती बटंवारा करना चा रहा है। वादी ने अपने भाई पुरा के वारिशों को दिनांक 01.09.2023 को भी पुछा तो प्रतिवादीगण ने पांती बंटवारा व घोषणा के लिए मना कर दिया इसलिये मजबुर होकर यह वाद वादी को खातेदारी घोषणा पांती बंटवारे का वाद प्रस्तुत करना पड रहा है ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 तक को विधिवत् बावजूद सूचना एवं सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा सूचना एवं सम्मन तामिल करवाये गये । प्रकरण में प्रतिवादीगणों के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया । प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में खाते की नकल जो प्रदर्श–01 है तथा वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य समाज एव रिस्तेदारों के राजीनामा हुआ जो पदर्श–02 है एवं एलोटमेंट दस्तावेज जो प्रदर्श 03 से 10 है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया रिपोर्ट मय जवाब तलब किया गया तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सकालदा की आराजी नम्बर 565/11 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि सहखातेदार श्री केशुलाल, बाबूलाल,लोगरलाल, शंकरलाल, नानी पिता नारायण सोवनी बाई पत्नी नारायण हिस्सा–1/2, पुरिया पिता विरमा हिस्सा–1/2 जाति मीणा सा. ढिकीया के नाम वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है उक्त आराजी नम्बर 565 मी. रकबा 94 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि श्री नारायण,पुरिया पिता विरमा मीणा सा. ढिकीया गैर खातेदार को नामान्तरकरण संख्या 152 से आवंटन किया गया । उक्त आराजी नम्बर 565/1 रकबा 5 बिघा खातेदार श्री नारायण, पुरिया पिता विरमा मीणा सा.ढीकिया खातेदार को नामान्तरकरण संख्या 264 से खातेदारी हक प्रदान किया गया। वादी श्री गोविन्द पिता विरमा इनके बडे भाई श्री पुरिया पिता विरमा, एवं नांरायण पिता विरमा के वारिसान ने गांव के मौतबीर एवं इनके रिस्तेदारों सहित आपसी बटवारा किया तब से गोविन्द पिता विरमा द्वारा इनके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त किया जा रहा है। नारायण , पुरिया पिता विरमा द्वारा भविष्य में प्रार्थी श्री गोविन्द पिता विरमा को हिस्से की भूमि देने का बिडे में इकरार नामा दिया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण स्व0 विरम पिता तोला उर्फ तोरा के विधिक वारिसान है वीरम के 03 पुत्र थे। नारायण, पुरा, गोविन्द पिता वीरम जिसमें से नारायण पिता वीरम फोत हो चुके है जिनके विधिक वारिसान सोहनी पत्नी नारायण, शंकर, केशा, लोगर, बाबूलाल, नानी पिता नारायण हुए, एवं पुरा भी फोत हो चुका जिनके विधिक वारिसान् गोविन्द उर्फ गोवर्धन है तिसरा पुत्र गोविन्द जो वादी है। वीरम के जिवनकाल मे ही वादी प्रतिवादीगणों के मध्य मौके पर पांती–बटवारा हो गया था तब से आज तक वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से मौके पर काबिज होकर काश्त किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किये है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज, पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा, प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं वादी अधिवक्ता की बहस के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया की रिर्पोट, एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट एवं वाद में वर्णीत तथ्यों दस्तावेजो के अनुसार विरम पुत्र तोला उर्फ तोरा जो मुल पुरूष थे विरम के 03 पुत्र हुए नारायण, पुरा, गोविन्द पिता विरम विधिक वारिसान है, तिनो पुत्रों को विरम के जिवनकाल मे ही अपने हिस्से अनुसार बटवारा कर दिया गया था, तब से आज दिनांक तक वादी गोविन्द पिता विरम अपने हिस्से पर काबिज है। **तहसीलदार लसाडिया की मौके स्थिति की रिपोर्ट एवं रेकॉर्ड दस्तावेजों के आधार पर वादी का हिस्सा 1/3, हिस्से के हकदार होने से वादी को खातेदार घोषित करना उचित प्रतित होता है। अतः मौजा सकालदा पटवार हल्का कूण तहसील लसाडिया में वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 565/11 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक का 1/18—1/18 हिस्सा ,एवं प्रतिवादी संख्या 07 का भी 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा की जाती है एवं उक्त घोषित हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने की डिक्री जारी की जाती है।**

आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

)

न्यायालय उपखण्ड अ

डिक्री

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * लसाडिया, जिला–सलूम्बर

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश आचार्य,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 04/2024

वादी पक्ष

1. श्री गोविन्द पिता स्व0वीरम मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) वादी

बनाम

1 श्रीमती सोहनी पत्नी स्वा0 नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

2. श्री शंकर पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

3. श्री केशा उर्फ केशुलाल पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

4. श्री लोगर पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

5. श्री बाबूलाल पिता स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

6. श्रीमती नानी पुत्री स्व0नारायण मीणा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

7. श्री गोविन्द उर्फ गोवर्धन पुत्र पुरा निवासी ढीकिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)।

8. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

..................प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधिनियम

उपस्थिति – वादी की ओर से – श्री नरेश स्वर्णकार

प्रतिवादी की ओर से – पुष्करलाल मीणा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिए आज दिनांक 08.05.2026 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद बहक डिक्री किया जाता है एवं मौजा सकालदा पटवार हल्का कूण तहसील लसाडिया के आराजी नम्बर 565/11 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 07 का 1/3 हिस्से का, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं साथ ही उक्त आराजी में कब्जे एवं हिस्से अनुसार विभजन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)